

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 01/11

संस्थापन दिनांक:-07/01/11

फाईलिंग नं. 233504000252011

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

सीसराम पिता सुखराम उइके, उम्र 35 वर्ष,
 निवासी रेवलदेव पिपरिया,
 थाना नवेगांव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.02.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 454, 380 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 18.12.2010 से 22.12.2010 के बीच ग्राम रमली थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी चरणजीत सिंह के खेत में बने मकान जो संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह भेदन कारित किया एवं फरियादी चरणजीत सिंह के खेत में बने मकान से एक एसकान कंपनी की कुप्पी पांच जी, एक लोहे का घन, एक प्लास्टिक की केन कुल कीमती 1,200/- रुपये को बिना उसकी सम्मति के बेईमानीपूर्वक आशय से ले लेने के लिए हटाकर चोरी की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी चरणजीत सिंह ने दिनांक 22.12.2010 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि उसका खेत ग्राम रमली में है। उसके खेत में सामान रखने के लिए एक मकान बना है। मकान में उसके नौकर रहते हैं। अभियुक्त सीसराम पहले उसका नौकर था। करीब सवा माह पहले वह काम छोड़कर चला गया था। शनिवार को सीसराम एसकोल की 5 लीटर की कुप्पी कीमत करीब 500/- रुपये, एक प्लास्टिक का ड्रम कीमत करीब 200/- रुपये चुराकर ले गया परंतु उसने सीसराम उसका नौकर होने के कारण रिपोर्ट नहीं की। दिनांक 22.12.2010 को शाम 7 बजे उसका नौकर दूध देने खेत से घर आया इसी बीच अभियुक्त सीसराम उसके खेत के मकान के कमरे का कुंदा ताला तोड़कर नायलोन की रस्सी, लोहे का घन, कीमत करीब 1500/- रुपये चुराकर ले

गया।

3 फरियादी दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 343/10 में धारा 454, 380 भा.दं.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना का नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्त का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त से एक एसकान एसएस कंपनी की टानीक कुप्पी 5 लीटर की, एक लोहे का घन, एक प्लास्टिक की केन जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। जप्तशुदा संपत्ति की शिनाख्ती की कार्यवाही करवायी गयी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र निराकरण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.12.2010 से 22.12.2010 के बीच ग्राम रमली थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी चरणजीत सिंह के खेत में बने मकान जो संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह भेदन कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी चरणजीत सिंह के खेत में बने मकान से एक एसकान कंपनी की कुप्पी पांच जी, एक लोहे का घन, एक प्लास्टिक की केन कुल कीमती 1,200/- रुपये को बिना उसकी सम्मति के बेईमानीपूर्वक आशय से ले लेने के लिए हटाकर चोरी की ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क्र. 01 एवं 02 का निराकरण

6 चरणजीत सिंह अरोरा (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 18.12.2010 को उनके खेत पर स्थित कमरे में रखी हुए एलएमबी कम्पनी की कुप्पी एवं एक प्लास्टिक की पीले रंग की कुप्पी एवं तत्पश्चात

दिनांक 22.12.2010 को उपर्युक्त कमरे से ही नायलोन की रस्सी और एक लोहे का घन अभियुक्त के द्वारा चोरी कर लिया गया था। कुलदीप सिंह (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके खेत में स्थित मकान से नायलोन का रस्सा, सब्बल, घन चुराकर ले गया था। जगनू (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी के खेत में स्थित मकान से एक्सल की कुप्पी, दवाई का खाली ड्रम चुराकर ले गया था। फूलवंती (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि उसे गांव से वापस आने पर मालिक ने यह बताया था कि अभियुक्त ने कुप्पी और घन चोरी की है। प्रकरण में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) एवं उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी चरणजीतसिंह अरोरा के खेत में स्थित मकान से उपर्युक्त सामान चोरी हुए थे।

7 प्रकरण में मेमोरेंडम एवं जप्ती के साक्षी जगनू (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि फरियादी के खेत पर स्थित मकान से अभियुक्त को कुप्पी, ड्रय या अन्य सामान ले जाते हुए उसने नहीं देखा था। खेत पर उपस्थित अन्य नौकरों ने बताया था कि अभियुक्त सामान लेकर गया है, तब उसने घटना की जानकारी फरियादी को दी थी। पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त से कोई पूछताछ नहीं की थी लेकिन मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी-4) पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस अभियुक्त को अपने साथ कहीं पर लेकर नहीं गयी थी लेकिन अभियुक्त से एक्सल की कुप्पी, दवाई की कुप्पी और घन ले गये थे। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-5) पर उसके हस्ताक्षर हैं। कुलदीप सिंह (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त से सामान जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-5) तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मेमोरेंडम एवं गिरफ्तारी पत्रक पर भी उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्त ने यह बताया था कि उसने फरियादी के खेत के मकान का कुंदा तोड़कर कमरे के अंदर घुसकर कुप्पी, लोहे का घन, घुट्टा चोरी किया था और घर के अंदर छिपाकर रखा है।

8 जगनू (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने अभियुक्त को चोरी करते हुए नहीं देखा था। अभियुक्त ने फरियादी के यहां दस वर्षों तक नौकरी की थी। साक्षी ने यह बताया है कि फरियादी ने उसे बयान देने के पहले यह बता दिया था कि कैसे बयान देना है और यह भी कहा था कि जैसा बताया है वैसे बयान देना नहीं तो तुम्हारे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो जायेगी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 06 में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त से पूछताछ और जप्ती की कार्यवाही थाने में हुई थी। कुलदीप सिंह (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने अभियुक्त को सामान चोरी करते हुए नहीं देखा था। उसने जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर तब किया था जब अभियुक्त ने

अपने घर से सामान निकालकर दिया था। उसे याद नहीं है कि अभियुक्त सीसराम का मकान कितने कमरे का है, किस दिशा में है। अभियुक्त से पूछताछ किस दिन और कितने बजे की गयी थी उसे ध्यान नहीं है। इस सुझाव को गलत बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त से पूछताछ नहीं की थी और सामान जप्त नहीं किया था।

9 फरियादी चरणजीत सिंह अरोरा (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दिनांक 18.12.2010 को अभियुक्त ने शाम के समय कुप्पी चोरी की थी जिसकी जानकारी नौकरों ने दी परंतु उसके द्वारा रिपोर्ट नहीं की गयी। लेकिन तत्पश्चात पुनः से जब दिनांक 22.12.2010 को अभियुक्त ने कमरे का कुंदा ताला तोड़कर नायलोन की रस्सी और लोहे का घन चोरी किया तब उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट लेख करायी गयी। अभियुक्त को चोरी करते हुए खेत के नौकर मंगरू, जगनू और सुकेन ने देखा था और फूलवंती ने भी देखा था। जब पुलिस ने उसके समक्ष नक्शा मौका तैयार किया था और शिनाख्ती कार्यवाही में उसने अपने सामान को पहचाना था। शिनाख्ती की कार्यवाही यादोराव और अलीम के समक्ष हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने अभियुक्त को सामान चुराते नहीं देखा था। स्वतः कहा नौकरों ने बताया था। इस सुझाव को गलत बताया है कि जिस मकान से चोरी होना बताया गया है उस मकान में अभियुक्त सीसराम रहता था। इस सुझाव को गलत बताया है कि नौकरों ने घटना की जानकारी नहीं दी थी।

10 फूलवंती (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि घटना वाले दिन वह खेत पर नहीं थी, गांव चली गयी थी। जब गांव से लौटकर आयी तब फरियादी ने बताया था कि अभियुक्त ने कुप्पी और घन चोरी की है। उसके समक्ष चोरी नहीं हुई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अपने समक्ष अभियुक्त के द्वारा सामान चोरी किये जाने की बात को गलत बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसने घटना नहीं देखी थी। जगनू (अ.सा.-2) जो कि अभियोजन कथा अनुसार चक्षुदर्शी साक्षी है, साक्षी ने अभियुक्त को सामान न ले जाते हुए देखा जाना बताया है परंतु अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्त सामान लेकर जा रहा था एवं स्वयं के समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा पूछताछ करना भी बताया है परंतु तत्पश्चात प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अभियुक्त को चोरी करते हुए न देखा जाना बताया है। साथ ही फरियादी के कहे अनुसार बयान दिया जाना बताया है एवं स्वयं के समक्ष अभियुक्त से पूछताछ एवं जप्ती से इनकार किया है। उपर्युक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। साथ ही जगनू (अ.सा.-2) अपने कथनों पर बिलकुल भी स्थिर नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। फलतः

अभियोजन को उपर्युक्त साक्षीगण से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11 प्रकरण में साक्षी यादोराव (अ.सा.-4) एवं शेख अलीम (अ.सा.-5) जो कि प्रकरण में शिनाख्ती के साक्षी हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है एवं अपने समक्ष पहचान कार्यवाही होने से भी इनकार किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। फलतः साक्षीगण की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

12 मेमोरेंडम एवं जप्ती के साक्षी जगनू (अ.सा.-2) ने मेमोरेंडम एवं जप्ती की कार्यवाही का बिलकुल भी समर्थन नहीं किया है तथा अन्य साक्षी कुलदीप सिंह (अ.सा.-3) ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्त के द्वारा क्या बताया गया था एवं पुलिस के साथ किस जगह पर जाकर अभियुक्त के मकान के किस स्थान से जप्ती की कार्यवाही की गयी थी। यहां तक कि कथनों में अभियुक्त का मकान कहां पर स्थित है यह भी उपर्युक्त साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। जप्ती के प्रपत्र अपने आप में साक्ष्य नहीं है, जब तक कि उनके कथनों को प्रमाणित न करवाया जाये। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **श्रवण विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2006(2) ए.एन. जे.एम.पी. 235** अवलोकनीय है। इसके अतिरिक्त शिनाख्ती की कार्यवाही के संबंध में फरियादी ने यह बताया है कि उसने गवाहों के समक्ष अपने सामान को पहचाना था परंतु पहचान कार्यवाही के साक्षीगण ने स्वयं के समक्ष शिनाख्ती की कार्यवाही से इनकार किया है। प्रकरण में शिनाख्ती की कार्यवाही से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि किस आधार पर फरियादी ने अपने सामान की पहचान की क्योंकि जप्तशुदा सामाग्री पर कोई विशेष पहचान चिह्न होना भी प्रकट नहीं हो रहा है।

13 प्रकरण में फरियादी चरणजीत सिंह अरोरा (अ.सा.-1) के द्वारा मुख्य परीक्षण में यह बताया गया है कि सर्वप्रथम अभियुक्त के द्वारा दिनांक 18.12.2010 को कुप्पी की चोरी की गयी एवं दिनांक 22.12.2010 को नायलोन की रस्सी एवं लोहे के घन की चोरी की गयी परंतु किसी भी अभियोजन साक्षी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि फरियादी के खेत पर स्थित मकान से अभियुक्त के द्वारा दो बार चोरी की गयी हो। फरियादी के कथनों का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने एवं घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों ने नहीं किया है जिनके द्वारा बताये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी के द्वारा लेख करायी गयी है। साथ ही अभिलेख पर संलग्न नक्शा मौका (प्रदर्श पी-2) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जिस कमरे या मकान से सामान का चोरी हो जाना बताया गया है उस मकान में दरवाजे का कुंदा या ताला टूटा हुआ हो और न ही

टूटे हुए ताले या कुंदे की जप्ती की गयी है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा ही फरियादी के आधिपत्य के खेत स्थित मकान में ताला तोड़कर प्रवेश किया एवं सामान हटाकर चोरी की।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी चरणजीत सिंह के खेत में बने मकान जो संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह भेदन कारित किया एवं फरियादी चरणजीत सिंह के खेत में बने मकान से एक एसकान कंपनी की कुप्पी पांच जी, एक लोहे का घन, एक प्लास्टिक की केन कुल कीमती 1,200/- रुपये को बिना उसकी सम्मति के बेईमानीपूर्वक आशय से ले लेने के लिए हटाकर चोरी की। फलतः अभियुक्त सीसराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 380 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15 प्रकरण में जप्तशुदा एक एसकान एसएस कंपनी की टानीक कुप्पी 5 लीटर की, एक लोहे का घन, एक प्लास्टिक की केन फरियादी चरणजीतसिंह पिता कुलदीप सिंह अरोरा निवासी आमला को अपील अवधि पश्चात प्रदाय की जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

16 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)